

मिसिल संख्या जेड.60011/06/2020-सीवीएसी

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

सीवीएसी अनुभाग



निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक ०९ मार्च, 2021

To,

Sh. Anurag Sinha,
Qtr no. 10 po swang bokaro
Jharkhand, gomia, 829128
Jharkhand

विषय: आरटीआई अधिनियम, २००५ के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अपनी आर.टी.आई. एमओएचएफडबल्यू/आर/ई/21/00630, आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के संदर्भ ले जोकि अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 27.02.2021 को प्राप्त हुआ था जिसमें आर.टी.आई.(RTI) अधिनियम, २००५ के तहत जानकारी मांगी गई है।

संख्या क्रम	आवेदक के प्रश्न	उत्तर
i.	कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य, जबरदस्ती	कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है।
ii	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर सारी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जायगी, सरकारी योजना पैशन	
iii	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी नहीं मिलेगा, ट्रेन, बस, मेट्रो में चढ़ने नहीं मिलेगी	आवेदन में लिखी गई निराधार है। किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई सम्बन्ध नहीं है।
iv	यदि कोई ias ips स्वास्थ्य या पुलिस कर्मचारी नागरिक को धमकी दे की वैक्सीन ले नहीं तो ये कर देगे तो नागरिक क्या कर सकती क्या कोर्ट जा सकते हैं	
v	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली कनेक्शन, राशन आदि के लिए क्या वैक्सीन नहीं मिलेगे	
vi	क्या वैक्सीन नहीं लेने पर नौकरी से निकला जा सकता है वेतन रोका जा सकत है, निजी और सरकारी विभाग दोनों में।	

AC

2. यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो सुश्री, सुनीता नायर, उपसचिव, (सी. वी. ए. सी.), क.न. 435 सी.विंग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भवन भवन, नई दिल्ली से इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। वो इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी है।

भवदीय

संस्कृत
(सरूप सिंह)

अवर सचिव और सीपीआईओ, भारत सरकार
दूरभाष न: ०११-२३०६२९५९

प्रति सूचनार्थ हेतु:

प्राप्ति

1. अनुभाग अधिकारी, आरटीआई सेल, स्वास्थ्य एवंम परिवार कल्याण मंत्रालय आर.टी.आई. फ .स. एफटी/60011 एमओएचएफडबल्यू/आर/ई/21/00630, दिनांक 27.02.2021 के संदर्भ में।
2. अवर सचिव (प्रति.), स्वा.एवंम प.क.मंत्रालय